आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत
दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–.95 / 2018–19

अजय कुमार ....आवेदक

बनाम

अंचल अधिकारी, सोनाहातु...विपक्षी।

आदेश

12.10.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–अजय कुमार,पिता–श्री कालीपद महतो, ग्राम–+पोस्ट–बारेन्दा, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–61 R27 / 2017/2019/.सोनाहातु में दिनांक–04.09.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बारेन्दा	सोनाहातु	18	379	2038	05 डीसमील

चौहदीः–उ०–निज विक्रेता तरनी बाला देवी, द०–छुटुवा देवी वो विशोखा देवी,
पू०–सिल्ली से राँगामाटी रोड, प०–श्री गोपाल चन्द्र तिवारी वगैरह।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार अपीलकर्त्ता ने आवेदित भूमि को दिनांक–15.08.2016 ई० को केवाला पट्टा द्वारा क्रय किया है जिसका केवाला पट्टा बुक नं०–1, भोलुम नं०–25, पेज नं०–123 से 2020 डीड नं०–294 / 284 दिनांक–20.08.2016 है। उक्त भूमि के नामांतरण वाद को निम्न न्यायालय खेवट नं० के आभाव में अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलकर्त्ता की ओर से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, सोनाहातु को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–61 R27 / 2017/2019/.सोनाहातु का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार खतियान में बकास्त मालिक दर्ज है खेवट संलग्न नहीं रहने के कारण भूमि आदिवासी खाते की है अथवा गैर आदिवासी की यह स्पष्ट नहीं है। अतएव इसी आधार पर अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुने बिना ही अपीलार्थी के नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, सोनाहातु द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे वांछित दस्तावेज प्राप्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

8/10   8/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।   **भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।**